न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी–3549–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.06.2016 पारित द्वारा तहसीलदार बीना जिला सागर प्रकरण कमांक 1/अ–12/2015–16

भागीरथ पुत्र बाबूलाल साहू आयु 40 वर्ष
निवासी– ग्राम बेलई तह0 बीना जिला सागर (म0प्र0) .....**आवेदक**

विरुद्ध

बालमुकुन्द पुत्र रामलाल साहू आयु 35 वर्ष
निवासी– ग्राम बेलई तह0 बीना जिला छतरपुर .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर पाठक

अनावेदक ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा

आदेश

(आज दिनांक 28/3/18 **को पारित)**

यह निगरानी तहसीलदार बीना जिला सागर प्रकरण कमांक 1/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम बेलई स्थित भूमि खसरा नं. 456/1 रकवा 0.11 हे. भूमि का पुनः सीमांकन कराने हेतु एक आवेदन तहसीलदार बीना के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25.06.2016 द्वारा बताया कि सीमांकन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बीना

द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.12.2016 द्वारा सीमांकन किया जा चुका है, जिसमें स्थल पंचनामा में भी लेख किया गया है कि सीमांकन के वक्त आवेदक उपस्थित रहे, किंतु हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। उक्त आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.08.2016 द्वारा क्षेत्राधिकार बाह्य होने से निरस्त की गई। अतः तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को न तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और ना ही संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया, बल्कि मनमाने ढंग से तैयार सीमांकन रिपोर्ट को सही मानकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पूर्व में भी सीमांकन किया जा चुका है जिसमें आवेदक की भूमि जो आवासीय पट्टे की भूमि है, वह अनावेदक के स्वामित्व की भूमि में नहीं थी। उक्त तथ्य को दृष्टिगत न रखते हुए उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान सीमांकन आवेदक की अदम मौजूदगी में किया गया है। उक्त वर्तमान सीमांकन कार्यवाही का न तो आवेदक द्वारा कभी भी आवेदन किया गया था और न ही आवेदक वक्त सीमांकन मौके पर मौजूद था एवं आवेदक को नामांतरण बावत् कभी भी सूचित भी नहीं किया। अतः संपूर्ण सीमांकन कार्यवाही मय आलोच्य आदेश आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से की गई है। इस कारण आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन सीमांकन की कार्यवाही कभी भी सम्पन्न नहीं हुई है वास्तविकता तो यह है कि सीमांकन की सूचना

ही अपने आप में संदेहास्पद है, क्योंकि सीमांकन की सूचना में आवेदक भागीरथ के हसताक्षर के नीचे दिनांक 11.01.2016 का उल्लेख है तथा सीमांकन सम्पन्न किए जाने की दिनांक भी दिनांक 11.01.2016 निर्धारित होना कथित है स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही अपने आप में स्वयं ही संदेहास्पद है, क्योंकि सीमांकन हेतु सूचना आवेदक को दिनांक 11.01.2016 को दोपहर 2 बजे प्राप्त हुई थी इस प्रकार सीमांकन वाली दिनांक को मात्र सूचना प्रदान की गई, परंतु सीमांकन सम्पन्न हुआ ही नहीं।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं आवेदक द्वारा कराए गए सीमांकन पर आवेदक भागीरथ द्वारा आपत्तियां की गई थी जिस पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2016 द्वारा आवेदक भागीरथ की आपत्तियां खारिज करते हुए आवेदक भागीरथ को अपनी भूमि का पृथक से सीमांकन करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक बालमुकुन्द द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2016 के आधार पर अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है, जिस पर आवेदक भागीरथ का अनावेदक बालमुकुन्द के स्वत्व की भूमि पर अपराधिकृत आधिपत्य पाये जाने के कारण अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा–250 के अधीन आवेदन किया गया है जिस पर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण कमांक 17/अ–70/2015–16 लंबित है। इस कार्यवाही को मात्र लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। उक्त आवेदन में उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक

11.01.2016 को किए गए सीमांकन को निरस्त कर पुनः पैमाइश किए जाने का अनुरोध किया गया है। तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् यह पाया है कि उक्त सीमांकन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बीना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2016 के परिपालन में किया गया है। आदेश में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त सीमांकन सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी किया जाकर किया गया है जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर भी हैं तथा स्थल पंचनामा में उल्लेख किया है कि सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित रहे, किंतु हस्ताक्षर करने से इंकार किया। उक्त आधार पर तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाकर यह निर्देश दिए हैं कि आपत्तिकर्ता/आवेदक चाहे तो अपनी भूमि का पृथक से सीमांकन करा सकता है। आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए सीमांकन के विरुद्ध कोई कार्यवाही न कर तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पुनः पैमाइश कराये जाने हेतु संहिता की धारा–32 के तहत आवेदन प्रस्तुत करना विधि सम्मत नहीं है। यदि वो राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश से पीड़ित थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय में उक्त आदेश को चुनौती देना चाहिए थी, जो नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर